न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
155 / 2022	09.12.2022	24.01.2023

अनवान

1. कालु पिता बोतु प्रजापत उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

——प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पिता ऊंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. शिव लाल पिता बोतु प्रजापत उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. कमलाबाई पुत्री ऊंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. भुरी पत्नी बेणा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
5. मोहनी पत्नी ऊंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
6. रतनलाल पिता वेणा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
7. रतनीबाई पुत्री ऊंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
8. शंकरलाल पुत्र बेणा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
9. शिवलाल पिता बोतु कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
10. शोभा लाल पुत्र वेणा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

——अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार ब... प्रार्थी

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0 भू—राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

मौजा कोदियाखेडी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 11 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 कुल किता 23 कुल रकबा 7.89 है0 स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.01.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। बहस एकतरफा बाबत निवेदन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कोदियाखेडी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 11 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 कुल किता 23 कुल रकबा 7.89 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 [illegible] करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार [illegible] तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज [illegible] कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज [illegible] 24.01.2023 [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official